न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रार्थना पत्र संख्या–109/2019
प्रार्थना पत्र प्रविष्टि दिनांक–16.12.2019
निर्णय दिनांक–28.11.2024

1. नैनूनाथ पुत्र ओंकार नाथ जाति योगी निवासी कारोला तह0 व जिला टोंक (राज0)
2. जमनानाथ पुत्र ओंकारनाथ जाति योगी निवासी ग्राम कारोला तह0 व जिला टोंक (राज0)
3. छीतर नाथ पुत्र ओंकार नाथ जाति योगी निवासी ग्राम कारोला तह0 व जिला टोंक (राज0)
4. रामप्रसाद नाथ पुत्र ओंकार नाथ जाति योगी निवासी कारोला तह0 व जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्योजी पुत्र केसर नाथ जाति योगी निवासी कारोला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. हजारी पुत्र केसर नाथ जाति योगी निवासी कारोला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री विवेक चौधरी
अधिवक्ता अप्रार्थीगण–श्री शंकरलाल चौधरी

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 2555 रकबा 00–02 बिस्वा गै.मु. चाह ग्राम सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त चाह में 1/2 हिस्सा ार्थीगण व 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम अंकित है। इसी प्रकार से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को बहिस्सा बराबर /2 ख0न0 2555 चाह से अपने खेतो को पिलायी करने का अधिकार है। प्रार्थीगण अपने खेतो व कब्जेकाश्त की ाराजीयात ख0न0 2571, 2572, 2573, 2574, 2575 आराजीयात को उक्त चाह ख0न0 2555 से पिलायी करते ले आ रहे है तथा अप्रार्थीगण अपनी चाही आराजीयात को बहिस्सा बराबर 1/2 अपने ओसरे अनुसार सिंचित रते है। अप्रार्थीगण के मन में बदनियति आ जाने प्रार्थीगण को उनके हिस्से 1/2 व प्रार्थीगण के ओसरे 15 दिन पिलायी करने में हस्तक्षेप करने लगे और अप्रार्थीगण 01 व 02 व अप्रार्थी संख्या 01 के पिसरान् भंवरलाल, पप्पू

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

बन्ना आदि खुले शब्दो में कहने लगे की प्रार्थीगण को 01 माह में मात्र दो दिन ही अपने खेतो की पिलायी का हक है और अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को दो दिन से अधिक उक्त विवादित कुए से पिलायी नही करने देंगे तथा प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 श्योजी के पिसरान् लडाई झगडे पर उतारू हो गये। अप्रार्थीगण गिरोहबंद व लडाकू व झगडालू प्रवृति के लोग है। वह लोग रिकॉर्ड पटवार के विरूद्ध जाकर लठ के बल पर प्रार्थीगण के हक को दबाने की नियत से पिलायी करने से रोकते है और खुले शब्दो में कहते है की जिसकी लाठी उसी की भैंस। ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है की अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद स्थायी निषेधाज्ञा के साथ–2 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला प्रकरण पेश किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को इस आवश्यक के लिए पाबन्द किया जावे की दौराने दावा प्रार्थीगण को चाह ख0न0 2555 रकबा 00–02 जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 व ओसरा 15 दिन हिस्सा 1/2 है। पिलायी करने से नही रोके ओर ना ही किसी प्रकार की कोई बाधा व अन्य के द्वारा उत्पन्न करे। यदि अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण का वाद पेश करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा और उनको अपूरणीय क्षति कारित होगी एवं प्रार्थीगण अपने जायज हक से वंचित हो जायेगे। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञ मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है की अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द किया जावे की वे स्वयं जरिये ऐजेन्ट नौकर, रिश्तेदार व पिसरान के द्वारा प्रार्थीगण के चाह ख0न0 2555 में हिस्सा 1/2 व उसके ओसरे 15 दिन में पिलायी करने से ना रोके ना ही रूकवाये और पाबन्द रहे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल चौधरी ने वकालतनामा व जवाब पेश कर निवेदन किया की ख0न0 2555 रकबा 00–2 बीघा गै.मु. चाह ग्राम सोहेला में है, न की ग्राम कारोला में। उक्त चाह में प्रार्थीगण का कोई हिस्सा या सिंचाई करने का अधिकार नही है। बल्कि यह चाह प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 ने स्वयं अपने खर्चे से वर्षो पहले बनाया गया था तथा इसका उपयोग उपभोग प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा ही अपनी खातेदारी की भूमि को सिंचित करने के लिए किया जाता रहा है। इस चाह से कभी भी प्रार्थीगण की भूमि की सिंचाई नही हुई है। वादग्रस्त आराजी चाह कभी भी प्रार्थीगण की भूमियो की सिंचाई का साधन नही रहा और न ही प्रार्थीगण ख0न0 2555 के चाह से सिंचाई की। नुमाईशी अंकन के आधार पर प्रार्थीगण ने झूठा दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण की नियत में बेईमानी आने के कारण उन्होने जमाबंदी में अंकन का नाजायज फायदा उठाकर जबरन बिना किसी अधिकार के वादग्रस्त चाह से प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 02 को बेदखल करना तथा झूठा झगडा करना चाहते है। जबकि उनका इस चाह पर आधिपत्य या उपयोग व उपभोग नही रहा। बल्कि इस चाह का उपयोग केवल प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 द्वारा ही किया जाता रहा है। स्वीकार नही है। जिनको पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण झगडालू तथा बदमाश किस्म के लोग है, जो बिना किसी अधिकार के प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 के उक्त चाह के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करना चाहते है तथा नाजायज रूप से स्वयं सिंचाई करना चाहते है। जबकि इसी चाह के पास प्रार्थीगण के खेतो की सिंचाई के लिए अन्य चाह मौजूद है। प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 ने मूल वाद में प्रार्थीगण को पाबन्द करवाने के लिए काउण्टर क्लेम भी पेश कर दिया है। जिससे कारण यह प्रार्थना पत्र चलने

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

योग्य नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तथ्यों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत कानून व न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर अपना विनिश्चय देना है :–

<u>प्रथम दृष्टया मामला :–</u>

प्रथम दृष्टया मामला साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि भूमि आराजी ख0न0 2555 रकबा 00–02 बिस्वा गै.मु. चाह ग्राम सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त चाह में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण तथा 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम अंकित है। इसी प्रकार से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को बहिस्सा बराबर 1/2–1/2, ख0न0 2555 चाह से अपने खेतो को पिलायी करने का अधिकार है। जबकि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हक हिस्से 1/2 चाह के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण मजामहत व मदाखलत करने पर आमादा है। इस कारण प्रार्थीगण के हक, हिस्से तक अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बताया की उक्त चाह में प्रार्थीगण का कोई हिस्सा या सिंचाई करने का अधिकार नही है। इस चाह से कभी भी प्रार्थीगण की भूमि की सिंचाई नही हुई है। वादग्रस्त आराजी चाह कभी भी प्रार्थीगण की भूमियो की सिंचाई का साधन नही रहा और न ही प्रार्थीगण ख0न0 2555 के चाह से सिंचाई की। नुमाईशी अंकन के आधार पर प्रार्थीगण ने झूठा दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण की नियत में बेईमानी आने के कारण उन्होने जमाबंदी में अंकन का नाजायज फायदा उठाकर जबरन बिना किसी अधिकार के वादग्रस्त चाह से प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 02 को बेदखल करना चाहते है। ऐसी स्थिती में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती और ना ही मिन अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जा सकता है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जिसका प्रार्थीगण कोई अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्षकारान की समस्त बहस व पत्रावली पर प्रस्तुत सामग्री दस्तावेजात, कानून व न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया गया। उभयपक्ष द्वारा अपनी बहस में दिये गये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजों व न्यायिक निर्णयो व न्यायिक दृष्टांतो से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। चूंकि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण विवादित आराजीयात में संयुक्त रूप से हिस्सा 1/2 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। इस कारण प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण को, प्रार्थीगण के हिस्सा 1/2 में अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार विवादित चाह में राजस्व

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

रिकॉर्ड में सहखातेदार होने की हेसियत से **प्रथम दृष्ट्या का बिन्दू** अप्रार्थीगण के विरुद्ध, प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

सुविधा का संतुलन :–

प्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 2555 रकबा 00–02 बिस्वा गै.मु. चाह ग्राम सोहेला में स्थित चाह में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण व 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम अंकित है। इसी प्रकार से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को बहिस्सा बराबर 1/2 ख0न0 2555 चाह से अपने खेतो को पिलायी करने का अधिकार है। प्रार्थीगण अपने खेतो व कब्जेकाश्त की आराजीयात ख0न0 2571, 2572, 2573, 2574, 2575 आराजीयात को उक्त चाह ख0न0 2555 से पिलायी करते चले आ रहे है तथा अप्रार्थीगण अपनी चाही आराजीयात को बहिस्सा बराबर 1/2 अपने ओसरे अनुसार सिंचित करते है। अप्रार्थीगण गिरोहबंद व लडाकू व झगडालू प्रवृति के लोग है, जो प्रार्थीगण को उनके हिस्से 1/2 में पिलायी करने में हस्तक्षेप व मदाखलत व मजामहत करने लगे है। जिनका प्रार्थीगण को वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड 1/ हिस्सा है। अतः प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से में अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बताया की उक्त चाह में प्रार्थीगण का कोई हिस्सा या सिंचाई करने का अधिकार नही है। बल्कि यह चाह प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 ने स्वयं अपने खर्चे से वर्षो पहले बनाया गया था तथा इसका उपयोग उपभोग प्रतिपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा ही अपनी खातेदारी की भूमि को सिंचित करने के लिए किया जाता रहा है। वादग्रस्त आराजी चाह कभी भी प्रार्थीगण की भूमियो की सिंचाई का साधन नही रहा और न ही प्रार्थीगण ख0न0 2555 के चाह से सिंचाई की। नुमाईशी अंकन के आधार पर प्रार्थीगण ने झूठा दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण की नियत में बेईमानी आने के कारण उन्होने जमाबंदी मे अंकन का नाजायज फायदा उठाकर जबरन बिना किसी अधिकार के चाह पर आधिपत्य व उपयोग व उपभोग करने पर आमादा है। प्रार्थीगण झगडालू तथा बदमाश किस्म के लोग है, जो बिना किसी अधिकार के प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 के उक्त चाह के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करना चाहते है तथा नाजायज रूप से स्वयं सिंचाई करना चाहते है। जबकि इसी चाह के पास प्रार्थीगण के खेतो की सिंचाई के लिए अन्य चाह मौजूद है। प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 ने मूल वाद में प्रार्थीगण को पाबन्द करवाने के लिए काउण्टर क्लेम भी पेश कर दिया है। जिससे कारण यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में बनता हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त वर्णित चाह में प्रार्थीगण के हिस्से 1/2 में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार **सुविधा का संतुलन का बिन्दू** प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

अपूर्णनीय क्षति :–

प्रार्थीगण अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया की ख0न0 2555 चाह में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण व 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम अंकित है। इसी प्रकार से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को बहिस्सा बराबर 1/2 ख0न0 2555 चाह से अपने खेतो को पिलायी करने का अधिकार है। प्रार्थीगण अपने खेतो व कब्जेकाश्त की आराजीयात ख0न0 2571, 2572, 2573, 2574, 2575 आराजीयात को उक्त चाह ख0न0 2555 से पिलायी करते चले आ रहे है तथा अप्रार्थीगण अपनी चाही आराजीयात को बहिस्सा बराबर 1/2 अपने ओसरे अनुसार सिंचित करते है। अप्रार्थीगण के मन में बदनियति आ जाने प्रार्थीगण को उनके हिस्से 1/2 व प्रार्थीगण के ओसरे 15 दिन में पिलायी करने में हस्तक्षेप करने लगे, यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण का वाद पेश करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इस कारण प्रार्थीगण के हक, हिस्से तक अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की इस उक्त चाह से कभी भी प्रार्थीगण की भूमि की सिंचाई नही हुई है। वादग्रस्त आराजी चाह कभी भी प्रार्थीगण की भूमियो की सिंचाई का साधन नही रहा और न ही प्रार्थीगण ख0न0 2555 के चाह से सिंचाई की। नुमाईशी अंकन के आधार पर प्रार्थीगण ने झूठा दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नही है। उक्त चाह का उपयोग केवल प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 द्वारा ही किया जाता रहा है। जिनको पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण झगडालू तथा बदमाश किस्म के लोग है, जो बिना किसी अधिकार के प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 के उक्त चाह के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करना चाहते है तथा नाजायज रूप से स्वयं सिंचाई करना चाहते है। जबकि इसी चाह के पास प्रार्थीगण के खेतो की सिंचाई के लिए अन्य चाह मौजूद है। उक्त चाह से प्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार नही है। प्रस्तुत प्रार्थना खारिज योग्य हैं। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता हैं। अतः अन्तरिम स्थगन आदेश खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है की प्रार्थीगण उक्त चाह में सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। सह खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण प्रार्थीगण के हिस्से तक चाह के उपयोग उपभोग में प्रतिपक्षीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उपरोक्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात, बहस व न्यायिक दृष्टांतो को दृष्टिगत रखते **अपूरणीय क्षति का बिन्दू** प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं।

::आदेश::

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होती है। अतः प्रकरण में उपरोक्त तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के हक में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये गये है। इसलिए प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

योग्य है। प्रार्थीगण उक्त विवादित चाह ख0न0 2555 वाके ग्राम सोहेला में सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। संलग्न खसरा गिरदावरी अनुसार प्रार्थीगण उक्त चाह से अपनी आराजीयात को सिंचाई करते चले आ रहे है। लिहाजा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है यह कि उक्त चाह से कभी भी प्रार्थीगण की भूमि की सिंचाई नही हुई है। वादग्रस्त आराजी चाह कभी भी प्रार्थीगण की भूमियो की सिंचाई का साधन नही रहा और न ही प्रार्थीगण ख0न0 2555 के चाह से सिंचाई की। नुमाईशी अंकन के आधार पर प्रार्थीगण ने झूठा दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नही है। उक्त चाह का उपयोग केवल प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 द्वारा ही किया जाता रहा है। जिनको पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण झगडालू तथा बदमाश किस्म के लोग है, जो बिना किसी अधिकार के प्रतिपक्षी संख्या 01, 02 के उक्त चाह के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करना चाहते है तथा नाजायज रूप से स्वयं सिंचाई करना चाहते है। जबकि इसी चाह के पास प्रार्थीगण के खेतो की सिंचाई के लिए अन्य चाह मौजूद है। उक्त चाह से प्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार नही है, इत्यादि ऐसे बिन्दू है जो कि पक्षकारान की साक्ष्य के आने के पश्चात् ही तय किये जा सकते है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रक्रम पर तय नही किये जा सकते है इसलिए उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात, बहस व न्यायिक दृष्टांतो को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं एवं प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 02 को पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित चाह में प्रार्थीगण के हिस्से 1/2 के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत नहीं करे। प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से अनुसार उक्त विवादित चाह से सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न नही करे। निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो एवं नम्बर से कम हो।

(अनिरूद्ध कुमार खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू,
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner